संख्या- 583 /9-8-19-08डी0डी0यू0(बजट) /2019

प्रेषक,

बृजेन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 **लखनऊ: दिनांक 18 फरवरी 2019**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नागर निकायों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश की छोटी नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सैपटेज मैनेजमेंट, सड़क, साइड पटरी, नाली, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एलईडी लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क/खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र, गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पं0 दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017-टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा निर्गत किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में प्राविधानित धनराशि से, संलग्न सूची में अंकित कार्य विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 06 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष धनराशि रूपये 1849.44 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रूपये 924.72 लाख (रूपये नौ करोड़ चौबीस लाख बहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017-टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

(2) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने पर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(3) यदि निकायों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रकिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर, जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।

(4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा

रूपये 5.00 लाख तक के डेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के डेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।

(6) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सडकों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष, चयनित आर्किटेक्ट/टाउन प्लानर तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तो में किया जायेगा।

(9) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(13) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

(14) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चेंकिग कराकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाले गये नोडल खाते के माध्यम से सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खाले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर धनराशि अन्तरित की जाये।

4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक 2217-शहरी विकास, 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 583 (1)/9-8-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/ मा0 राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया योजनान्तर्गत धनराशि निकाय के खाते में निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तान्तरित किये जाने के लिये योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते का पूर्ण विवरण/कैंसिल्ड चेक के साथ तीन दिन के अन्दर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(बृजेन्द्र सिंह)
अनुसचिव।

संख्या–583 /9–8–2019–08डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र0 सं0	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सम्भल	न0पं0 नरौली।	इस्टीमेट–ए			
			1 पी0डब्लू से चामुण्डा मन्दिर तक सड़क निर्माण कार्य।	52.98		
			इस्टीमेट–बी			
			2. शनिवार अड्डा से बहटा तिरहा तक सड़क निर्माण कार्य	105.86		
			इस्टीमेट–सी			
			3. पार्क (रामलीला मैदान)	58.56		
			आर्कीटेक्ट कन्सल्टेन्सी चार्ज	4.34		
			सेस 1%	2.22		
			जी.एस.टी. 12%	26.88		
योग				**250.84**	**250.84**	**125.42**

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 583 /9–8–2019–08डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र0 सं0	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
2	सीतापुर	न0पं0, हरगांव	1 वार्ड नं0–1 में मोहनलाल के मकान से धर्मसिंह मन्दिर होते हुए जगन्नाथ फील्ड तक रबर मोल्डिड टाइल्स इण्टर लॉकिंग रोड़ एवं पक्की नाली निर्माण कार्य।	26.00		
			2 वार्ड नं0–2 में वसीर के मकान से नेत्रराम के मकान तक रबर मोल्डिड टाइल्स इण्टर लॉकिंग रोड एवं पक्की नाली निर्माण कार्य।	18.23		
			3 वार्ड नं0–3 में बिरला मन्दिर से लक्ष्मी नरायन के मकान तक पक्की नाली का निर्माण कार्य।	19.14		
			4 वार्ड नं0–4 में डा0 डी0के0 सिंह के माकान से दिवाकर के मकान से होते हुए बाबूशाह के मकान तक रबर मोल्डिड टाइल्स इण्टर लॉकिंग रोड एवं पक्की नाली निर्माण कार्य।	13.93		
			5 वार्ड नं0–5 में बादशाह के मकान से डा0 बंगाली की दुकान तक पक्की नाली का निर्माण कार्य।	18.08		
			6 वार्ड नं0–6 में राजस्थली पबल्कि स्कूल से अमरनाथ डाकिया के मकान तक रबर मोल्डिड टाइल्स इण्टर लॉकिंग रोड एवं पक्की नाली निर्माण कार्य।	19.20		
			7 वार्ड नं0–7 में आनन्द सिंह के मकान से त्रिलोकी विश्वकर्मा और गली सोबरन लाल वर्मा तक रबर मोल्डिड टाइल्स इण्टर लॉकिंग रोड एवं पक्की नाली निर्माण कार्य।	26.20		
			8 वार्ड नं0–8 मे जाबिर खान के मकान से सुराजीपारा के मकान तक रबर मोल्डिड टाइल्स इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	11.15		
			9 वार्ड नं0–9 में मदरसा से ताहिर मौलबी तक रबर मोल्डिड टाइल्स इण्टर लॉकिंग रोड एवं पक्की नाली निर्माण कार्य।	19.31		
			10 वार्ड नं0–10 मे मन्नू के मकान से इण्टरलॉक रोड तक रबर मोल्डिड टाइल्स इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	25.73		

			11 वार्ड नं0 11 में ढकी हुई नाली निर्माण कनौजी के मकान से इस्माईलपुर रोड तक रबर मॉल्डिड टाइल्स इण्टर लॉकिंग रोड एवं पक्की नाली निर्माण कार्य।	26.39		
			एल0इ0डी0 लाइट (70 यूनिट)	24.50		
			हाईमास्ट लाइट (02 यूनिट)	10.92		
			तालाब 36x18 एवं तालाब 70x60	67.11		
			चौराहे का फाउन्डेशन	13.74		
			कन्टेन्जेसीज चार्ज 02 प्रतिशत	6.79		
			लेवर सेस 01 प्रतिशत	3.46		
			इस्टेबलिसमेन्ट चार्जज 01 प्रतिशत	3.46		
			जी.एस.टी. प्रतिशत	42.40		
			आर्किटेक्ट फीस 0.68 प्रतिशत	2.35		
			आर्किटेक्ट फीस 18 प्रतिशत जी.एस.टी	0.42		
योग				**398.60**	**398.60**	**199.30**

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–583 /9–8–2019–08डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र0 सं0	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
3	कौशाम्बी	न0पं0, सिराथू।	1 वार्ड नं0–2 सुखरानी के घर से कल्लू रजपी के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य	20.14		
			2 वार्ड नं0–6 में मुख्तार के घर से अर्जुन के घर तक इण्टर लांकिंग रोड नाली निर्माण कार्य	13.30		
			3 वार्ड नं0–4 में ब्लाक मोड से मुस्कान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.13		
			4 वार्ड नं0–1 में फूलचन्द जायसवाल के घर से गुड्डू तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.05		
			5 वार्ड नं0–1 में अवधेश श्रीवास्तव के घर से अरूण के बाग तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.04		
			6 वार्ड नं0–10 में राकेश पटेल के घर से गफ्फार के घर होते हुए दोस्त मोहम्मद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18.79		
			7 वार्ड नं0–11 में बराती के मकान से भगवानदीन पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18.49		
			8 वार्ड नं0–2 में लखन यादव के घर से सैकू पासी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.71		
			9 वार्ड नं0–2 में पावर हाउस रोड़ में गेस्ट हाउस तथा दुकानों का निर्माण कार्य	85.13		
			10वार्ड नं0–3 में तालाब सौन्दर्यीकरण का कार्य	108.47		
			योग	303.55	300.00	150.00

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 583 /9–8–2019–08डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र0 सं0	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
4	आजमगढ	न0पं0, माहुल	1 ओम प्रकाश के मकान से शब्बीर अहमद के प्लाट तक एवं विरेन्द्र के मकान से गुफरान के मकान तक नाली, नाली कवर एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	20.64		
			2 मुख्य मार्ग से मेवा के मकान होते हुए किसमति के मकान तक एवं मेवा के मकानसे जुम्मन के मकान तक नाली , नाली कवर एवं इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	25.99		
			3. मुख्य पी.डब्लूडी मार्ग/ संजय मौर्या के मकान से चौहान जी के मकान से होते हुए डा0 पाठक के मकान तक नाली, नाली कवर एवं इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	27.57		
			4. मुख्य पी.डब्लूडी मार्ग पर स्थित पी.डब्लू डी पुलिया मास्टर सरबर, संगीता देवी ए शकील के मकान होते हुए गढ्ढे तक नाला का निर्माण कार्य।	38.84		
			5. मलीन बस्ती के अन्तर्गत रामप्रीत के मकान से हीरालाल के मकान होते बाहा तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य	7.71		
			6. पूरब पटरी पर तौकीर वेल्डिंग वाले के दुकान से पी.डब्लू.डी. पुलिया तक कवर्ड नाला का निर्माण कार्य ।	26.14		
			7. उमापति शर्मा के मकान से जुम्मन के बाग के पास पीच रोड तक रिटेनिंग वाल, मिट्टी भराई, कासिंग एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	49.70		
			8. राजकुमार के मकान/ हिन्द बालिका स्कूल से सूर्य देव के मकान से साइड वाल एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य ।	29.94		
			9. पाम एण्ड प्रेषण विधि से अधिष्ठापित किये जाने वाले इण्डिया मार्का–2, हैण्डपम्प का कार्य। (50 नग)	27.07		
			10. विद्युतीकरण के अन्तर्गत स्ट्रीट लाइटिंग का कार्य	51.75		
			योग	**305.35**	**300.00**	**150.00**

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 583/9–8–2019–08डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क0 सं0	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
5	आजमगढ	न0पं0, कटघर लालगंज।	1. मु0 हनुमानगढ़ी में स्थित पोखरे के उत्तर तथा पूरब तरफ सीढ़ी घाट एवं इण्टरलाकिंग प्लेटफार्म का निर्माण कार्य।	42.94		
			2. मु0 हनुमानगढ़ी में स्थित रामलीला मैदान की चादरदीवारी, गेट एवं परिषर में इण्टरलाकिंग का कार्य।	22.98		
			3. मु0 आर्यनगर मे दयाराम पोखरे के उत्तर तथा पूरब एवं दक्षिण तरफ सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य।	44.76		
			4. शिवपूजन यादव के घर से नगर पंचायत नाला, डा0 रतन प्रजापति के घर तक पुलिया के पास तक नाला का निर्माण कार्य।	48.43		
			5. रवि बर्नवाल के घर के पास पुलिया से संस्कार मैरेज हाल तक मुख्य मार्ग के दोनो पटरी पर नाले का निर्माण कार्य।	42.11		
			6. ताजिया चौक से शौचालय तक पाईप लाइन विस्तार का कार्य।	1.59		
			7. कन्या पाठशाला से शैचालय तक पाईप लाईन विस्तार का कार्य।	1.59		
			8. श्री लाल के घर से साहब के घर तक पाईप लाइन विस्तार का कार्य।	1.45		
			9. श्री इसरार के घर से सामुदायिक शौचालय तक पाईप लाइन विस्तार का कार्य।	1.45		
			10 गैस एजेन्सी से पुलिया तक पाईप लाइन विस्तार का कार्य।	1.45		
			11. श्री अभिलाष के घर से इसरार के घर तक पाईप लाइन विस्तार का कार्य।	1.49		
			12 गैस एजेन्सी से उत्तर छोर तक पाईप लाइन विस्तार का कार्य।	1.49		
			13. रमेश के घर से बेचन के घर तक पाइप लाईन विस्तार कार्य।	4.15		

			14. मंदिर से आई.टी.आई. स्कूल तक पाईप लाइन विस्तार का कार्य।	3.46		
			15. लोहिया नगर रामाश्रय के घर से पश्चिम मेन रोड तक पाईप लाईन विस्तार कार्य।	3.46		
			16. चन्द्रमणि के घर से अनीस टेलर के घर तक पाईप लाईन विस्तार कार्य।	3.46		
			17. आर्य नगर वार्ड एवं संतकबीरनगर वार्ड में नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	24.02		
			विभिन्न वार्डो में वाहय विद्युतीकरण के अन्तर्गत स्ट्रीट लाइटिंग का कार्य।	51.94		
योग				**302.22**	**300.00**	**150.00**

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– 583 /9–8–2019–08डी0डी0यू0(बजट)/2019 दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र0 सं0	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
6	जौनपुर	न0पं0 जफराबाद	1. मो. नासही में तेजू पान वाले के मकान से सूबेदार मास्टर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.26		
			2. मो0 काजी अहमदनूर द्वितीय ताड़तला में रमाशंकर निषाद के खेत से कालीप्रसाद स्कूल के पीछे तक इण्टर लाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	14.92		
			3. मो0 काजी अहमदनूर द्वितीय ताड़तला में जिलाजीत के मकान से रामपाल मौर्या के मकान होते हुए श्मशान रोड तक इण्टर लाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	33.04		
			4. मो0 नासही में दीना चाय वाले के दुकान से कन्हैया के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	2.30		
			5. मो0 ताड़तला में तत्रवेणी अग्रहरी के घर से मकान तक नाला निर्माण कार्य।	20.73		
			6 मो0 ताड़तला में महादायी माई चौराहा से के मकान तक नाला निर्माण कार्य।	20.73		
			7. मो0 काजी अहमदनूर द्वितीय में राम सिंह यादव के घर से राजदेव यादव के घर के सामने तक पटरी पर इण्टरलॉकिंग कार्य।	19.56		
			8. मो0 काजी अहमदनूर द्वितीय में डा0 सरफराज खां के मकान से महेन्द्र निषाद के मकान तक उत्तरी पटरी पर इण्टरलाकिंग कार्य।	14.11		
			9. मो0 ताडतला में राजकेसर के मकान से हमीद मिस्त्री के घर तक नाली व स्लैब निर्माण कार्य।	2.95		
			10. मो0 चकमहमूद में उमाशंकर के घर से जगदीश के मकान होते हुए कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	20.34		

			11. मो0 चकमहमूद में गुड्डू के खेत से घाट तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाला निर्माण कार्य।	19.57		
			12. मो0 काजी अहमदनूर द्वितीय में रामस्वार्थ के मकान से जियालाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	6.59		
			13. मो0 ताडतला में मंसूर के खेत से तालीफ के मकान व राजबली के खेत होते हुए नाला तक नाला व स्लैब निर्माण कार्य।	8.16		
			14. मो0 ताडतला में हैदर के घर से डा0 जावेद के घर तक नाली निर्माण कार्य।	2.40		
			15. मो0 काजी अहमदनूर प्रथम मे शौकत के घर से जाविर के घर तक नाली निर्माण कार्य।	2.70		
			16. मो0 काजी अहमदनूर प्रथम मे बखेडू के घर से जल्लू के घर तक नाला व स्लैब निर्माण कार्य।	9.28		
			17. मो0 नासही में दीना चाय वाले से लालजी गौतम व बाबा के मकान होते हुए सदानंद के मकान तक पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	7.15		
			18. मो0 काजी अहमदनूर द्वितीय में जयहिन्द के खेत से अनमोल के पाही होते हुए अनमोल के घर तक अनमोल के घर के आगे से शिव मंदिर तक व हरिराम के पाही के बगल से बगीचा तक पाइप लाइन विस्तार का कार्य।	7.47		
			19. सप्लाई एण्ड फिक्सिंग ऑफ 40 वाट सोलर स्ट्रीट लाइट 7 मीटर पोल (100 यूनिट)	79.00		
योग				300.26	300.00	150.00
महा योग				1860.82	1849.44	924.72

(हस्ताक्षर)

(बृजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।